


निदेशालय चिकित्सा सेवायें
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
5 B, नियोजन भवन, बेलीरोड, पटना-800001

आदेश

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2024 के नियम-131 'ज' के आलोक में निदेशालय चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना के प्रयोजनार्थ उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत योजना एवं गैर योजना मद की आकस्मिकता के निष्पादन हेतु जेम पोर्टल पर अनुपलब्धता की स्थिति में ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र से अधिक तथा ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र तक की अधिसीमा में आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय क्रय समिति का पुर्नगठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1. कुमारी शिशिर भारती, - अध्यक्ष
निदेशक, चिकित्सा सेवायें,
निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
बिहार, पटना।
 2. श्री सुशील कुमार, - सदस्य
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।
 3. श्री कुमार नन्दन, - सदस्य
प्रशाखा पदाधिकारी,
निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
बिहार, पटना
2. पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


16/01/26
(दीपक आनन्द)

सचिव

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-60/23- 68

पटना, दिनांक-16-01-2026

प्रतिलिपि-निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार/
समिति के सभी सदस्य/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन
एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


16/01/26
सचिव

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग